राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–एफ.26(क)(22)गृह–2/2006 **जयपुर दिनांक** 13 SEP 2019

–: अधिसूचना :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार महिला पुलिस थाना भिवाड़ी के नाम से इसके द्वारा नये पुलिस थाने की घोषणा करती है, जिसकी अधिकारिता पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के अधीन के सम्पूर्ण क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों पर होगी तथा महिला पुलिस थाना जिला भिवाड़ी का मुख्यालय भिवाड़ी शहर रहेगा। यह पुलिस थाना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नीचे अनुसूची में दिये गये समस्त पुलिस थानों की अधिकारिता के साथ–साथ कार्य करेगा:–

(1) (क) भारतीय दण्ड सहिता, 1860 (1860 का स. 45) की धारा 294, 304–ख, 306, 309, 354, 366–क, 366–ख, 372, 373, 376, 376–क, 376–ख, 376–ग, 376–घ, 498–क, 509 के अधीन दण्डनीय और महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराध।

(ख) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, (1956 का स. 104) के अधीन दण्डनीय अपराध।

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का स. 28) के अधीन दण्डनीय अपराध।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लेखित अपराधों के प्रयत्न या दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय अपराध।

(3) महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों की रिपोर्ट की जांच और अन्वेषण ।

यह अधिसूचना इस विषय पर इससे पूर्व प्रकाशित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी,
5. सहायक शासन सचिव, गृह (ग्रुप–6) को प्रेषित कर लेख है कि निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

13/9/19
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)